महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, छाएंगे बादल, गर्मी से मिलेगी राहत

रायपुर (आरएनएस)। उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म व शुष्क हवाओं के प्रभाव से अब झुलसाने वाली गर्मी शुरू हो गई है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से दोपहर की तपिश भी बढऩे लगी है। हालांकि 20 अप्रैल के बाद छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज थोड़ा बदलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को मौसम का मिजाज बदलने के आसार है। बस्तर क्षेत्र में हल्की वर्षा के साथ ही गरज चमक के साथ छींटे पड़ेंगे। 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। रायपुर का न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश का मौसम अभी ऐसा ही रहेगा। अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा। 20 अप्रैल के बाद प्रदेश में मौसम का मिजाज थोड़ा बदलेगा। राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 43.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। गर्मी बढऩे से इन दिनों ठंडे पेय पदार्थों व आइसक्रीम की मांग काफी बढ़ गई है।

गोदीमुंडा तालाब में डूबने से 3 नाबालिक बच्चों की हुई मौत

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के नगरनार थाना क्षेत्र अंर्तगत नगरनार के गोदीमुंडा तालाब में डूबने से 03 नाबालिक बच्चों की मौत हो गई है। तीनों बच्चे तालाब में नहाने के दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए। बच्चों को डूबता देख मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई और तीनों बच्चों को बाहर निकालने में कामयाब भी हुए, लेकिन जब तक वे उन्हें बाहर निकालते तब तक तीनों की मौत हो गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नगरनार में स्थित गोदीमुंडा तालाब में अक्सर इलाके के ग्रामीण, बच्चे, महिला, पुरुष सब नहाने जाते हैं। गुरुवार की दोपहर गांव के ही प्रियांशु कश्यप उम्र 08 वर्ष, प्रमोद गोएल उम्र 09 वर्ष, विक्की बेसरा उम्र 08 वर्ष, ये तीनों बच्चे नहाने के लिए तालाब में नहाने के दौरान बच्चे एकाएक गहराई में चले गए। तीनों जब डूबने लगे तो तालाब के पास ही मौजूद गांव के अन्य ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ी। जिसके बाद गांव वालों ने बच्चों को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगाई। तीनों मासूमों को बेसुध अवस्था में तालाब से बाहर निकाला गया। जिसके बाद उन्हें फौरन नगरनार के उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। सभी के शवों को जगदलपुर महारानी अस्पताल लाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जायेगा।

महिला के थैले से गांजा जब्त, उरला पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। उरला पुलिस ने गांजा बेच रही महिला को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम गुमा में साहू पारा पास एक महिला अपने पास थैले में गांजा रखी है तथा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक तलाश रही है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी एवं नगर पुलिस अधीक्षक उरला अविनाश मिश्रा के द्वारा थाना प्रभारी उरला बृजेश कुशवाहा को महिला को गांजा के साथ रंगे हाथ पकडऩे निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये की महिला को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम भगवती पुरैना निवासी उरला रायपुर होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा महिला आरोपी भगवती पुरैना के पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा महिला आरोपी भगवती पुरैना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 किलो 100 ग्राम गांजा कीमती लगभग 21,000/- रूपये जप्त कर महिला आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 168/2023 धारा 20 बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर महिला आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आईएचएम में किया 50 सीटर हॉस्टल भवन का शिलान्यास

- इंस्टीट्यूट में डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में कुल 138 छात्र अध्ययनरत
- 2021-22 में डिप्लोमा कोर्स के 63 छात्रों को विभिन्न प्रतिष्ठित होटल्स में मिली नौकरी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन विभाग के अधीन संचालित नवा रायपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में कुल 138 छात्र अध्ययनरत है। इंस्टीट्यूट को और प्रभावी करने के लिए यहां बी.एस. सी. एचएचए (हास्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन) का कोर्स शुरू किया गया है जिसकी डिग्री दिल्ली के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू से प्राप्त होगी। खास बात ये है कि आईएचएम में किसी भी डिग्री व डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है।

संस्थान के द्वितीय वार्षिक समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इंस्टीट्यूट में छात्रों के रहने की सुविधा के लिए 50 सीटर हास्टल भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक धनेन्द्र साहू, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की उपाध्यक्ष चित्ररेखा साहू, पर्यटन विभाग के सचिव अम्बलगन पी.,एवं प्राचार्य रेखा शुक्ला उपस्थित थीं। वार्षिकोत्सव के दौरान ही मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा संस्थान के वार्षिक पत्रिका सुकवा का विमोचन भी किया गया।

पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने संबोधन में इंस्टीट्यट आप होटल मैनेजमेंट रायपुर में अध्ययनरत् छात्र छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह संस्थान होटल हास्पिटैलिटी के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करेगा। साहू ने संस्थान में पढ़ रहे छात्रों के देश के बड़े होटल्स में प्लेसमेंट होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार संस्थान को बेहतर बनाने का काम जारी है और आने वाले समय में ये देश का सर्वश्रेष्ठ होटल मैनेजमेंट संस्थान बनेगा।

गौरतलब है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में तीन वर्षीय बीएससी डिग्री प्रोग्राम के 06 छात्रों का पहला बैच पास होने वाला है। इनमें से चार छात्रों का विभिन्न प्रतिष्ठित होटल्स में 4 चयन हो गया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में डिप्लोमा कोर्स में अध्ययनरत 63 छात्रों को विभिन्न प्रतिष्ठित होटल्स में प्लेसमेंट हुआ है।

इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट रायपुर को देश का अग्रणी संस्थान बनाने के उद्देश्य से पिछले 03 वर्ष में यहां अधोसंरचना का विस्तार करते हुए आधुनिक इंस्फास्ट्रक्चर स्थापित किये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास परिषद के द्वारा हास्पिटैलिटी एवं टूरिज्म के अंतर्गत 18 कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिसमें 08 कार्यक्रमों के प्रशिक्षण को संस्थान में प्रारंभ किए जाने की तैयारी चल रही है।

संस्थान के द्वितीय वार्षिकोत्सव के दौरान छात्र छात्रों के समूह ने होटल मैनेजमेंट अवेयरनेस पर नाटक, छत्तीसगढ़ी सुआ नृत्य, संस्कृतियों का संगम मेरा भारत जैसे विषयों पर मनमोहक प्रस्तुती दी । मुख्य अतिथि द्वारा द्वारा इस मौके पर छात्र छात्राओं को खेल, वाद विवाद, निबंध लेखन आदि क्षेत्र में पुरस्कृत भी किया।

मुख्यमंत्री ने की प्रदेशवासियों से गर्मी और लू से बचने की अपील

- मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आवश्यक इंतजाम के दिये निर्देश
- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ में तापमान में हुई वृद्धि और गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए लोगों को गर्मी और लू से बचने की अपील की है। उन्होंने गर्मी और लू से बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश के परिपालन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को ग्रीष्म ऋतु तथा लू से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के संबंध में पत्र जारी किया गया है। पत्र में कलेक्टरों को ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए लू से बचाव के संबंध में जिला, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों और कोटवारों के माध्यम से जन समुदाय को जागरूक करने को कहा गया है। लू- तापघात से बचाव की तैयारी हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने की बात कही गई है। इसके साथ ही सभी प्रमुख विभागों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। पत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति करने के साथ ही एन.जी.ओ. लायंस क्लब, रोटरी क्लबों द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था, में आवश्यक सहयोग लेने और शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रयास करने कहा गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को सभी अस्पतालों में लू से बचाने के साथ ही लू से पिडित लोगों के उपचार के निर्देश दिये गये है। श्रम एवं रोजगार विभाग को गर्मी के समय (दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक) बाहरी काम एवं लू से बचने के लिए कार्यकालीन समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने कहा गया है। पशु चिकित्सा विभाग को पशुओं को लू से बचाने के लिए आवश्यक दवाईयों के साथ ही चारे पानी का इंतजाम रखने के निर्देश दिये है। परिवहन विभाग को जिलों के मुख्य बस स्टैण्ड/ टर्मिनल पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा गया है। शिक्षा विभाग को गर्मी के समय में शिक्षण संस्थानों के समय में आवश्यक परिवर्तन और शालाओं में शीतल पेयजल/ओ.आर.एस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। इसके साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा में काम करने के लिए कार्य स्थलों पर पीने का पानी एवं छाया की व्यवस्था करने को कहा। वन विभाग को जंगल की आग से बचने के लिए वन क्षेत्र में निरंतर निगरानी रखने और वन क्षेत्रों के जंगली जानवरों एवं पक्षियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है। जल संसाधन विभाग को गर्मी को देखते हुए ट्यूबवेलों की मरम्मत तथा राज्य में किसी भी स्थान पर जल संकट होने की स्थिति में त्वरित कार्यवाही के लिये उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। कृषि विभाग एवं उद्यानिकी फसलों पर पडऩे वाले ऋतु के प्रभाव के बारे में किसानों को जागरूक करने, खाद्य विभाग को उचित मूल्य की दुकानों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जल संकट वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से अक्रियाशील हेण्डपंपों की मरम्मत करवाने, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल की कमी का आंकलन तथा पेयजल संकट से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

बिलासपुर में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव

बिलासपुर (आरएनएस)। यूपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना पॉजीटिव हो गए। वे फिलहाल अवकाश के दौरान अपने गृहनगर बिलासपुर आये हुए थे। जहां वे कोरोना संक्रमित हो गए। उनका होम आइसोलेशन में इलाज किया जा रहा है।

यूपी हाईकोर्ट के चीफ प्रिंतिकर दिवाकर पूर्व में छतीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस रहें हैं। वे बार कोटे से छतीसगढ़ हाईकोर्ट में ही जस्टिस बने हैं और यही से अपनी न्यायिक सेवा शुरू की। काफी सालों तक छतीसगढ़ हाईकोर्ट में पदस्थ रहने के बाद उनका यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला हो गया। वे वहां बतौर जस्टिस के रूप में काम करते हुए हाल ही में हुए हाईकोर्ट जजों की पदोन्नति सूची में पदोन्नत होकर उत्तरप्रदेश के चीफ जस्टिस बन गए। उन्होंने अवकाश पर छतीसगढ़ आने से पहले दिल्ली के गुरुग्राम स्थित पैथोलॉजी लैब में अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था। जिसमे उनकी रिपोर्ट कोविड़ पॉजिटिव आई है। यूपी के चीफ जस्टिस प्रिंतिकर दिवाकर फिलहाल अवकाश पर अपने घर बिलासपुर आये हुए हैं। पॉजिटिव होने के बाद वे यहां होम आइसोलेशन पर है। होम आइसोलेशन में डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही हैं।

व्हॉट्सएप मैसेज भेजने को लेकर छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट

कोरबा (आरएनएस)। शहर में छात्रों के दो गुट में बुधवार को जमकर मारपीट हुई। स्कूल के बाहर ही दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे और डंडे से हमला कर दिया। इसके चलते कई लडक़ों के सिर फूट गए हैं। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि सारा विवाद स्कूल में साथ पढऩे वाली लडक़ी को मैसेज करने को लेकर हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्रों के परिजनों को भी थाने बुलाया गया है। मामला सीएसईबी चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सारा मामला बुधवारी स्थित एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल का है। स्कूल की छुट्टी होने पर छात्र बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान 9वीं कक्षा के कुछ छात्र पहले से बाहर डंडे और अन्य सामान लेकर खड़े थे। उनके ही साथ पढऩे वाले अन्य छात्र जैसे ही बाहर निकले आरोप है कि उन लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद दूसरे गुट से भी छात्रों ने मारपीट शुरू कर दी। दोनों ओर से जमकर लात-घूंसे और डंडे चलने लगे। स्कूल के बाहर हंगामा होते देख किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती, छात्रों के दोनों गुट खुद ही पुलिस चौकी पहुंच गए। दोनों गुट के छात्रों ने एक.दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत में बताया गया है कि सभी छात्र नौवीं कक्षा के हैं। उनकी ही कक्षा में पढऩे वाली एक लडक़ी को एक छात्र ने व्हॉट्सएप पर मैसेज भेज दिया। बताया जा रहा है कि लडक़ी का एक ब्वॉयफ्रेंड है, वह भी उसी कक्षा में पढ़ता है।

एनआईटी के कैंटीन में मिलेगा छत्तीसगढ़ी व्यंजन

- महिला समूह ने संभाली जिम्मेदारी

रायपुर (आरएनएस)। एनआईटी के छात्रों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन चखने का भी अवसर मिलने वाला है. कैंटीन में छत्तीसगढ़ी व्यंजन के अलावा चाइनीस इंडियन मिलेट व्यंजन भी उपलब्ध होंगे. जिला पंचायत सीईओ आकाश छिकारा ने संचालन की जिम्मेदारी महिला स्व-सहायता समूह को दी है. महिलाओं को रोजगार का अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनआईटी संस्थान का ये कदम सराहनीय है।

एनआईटी में बिहान कैंटीन का शुभारंभ संस्थान के डायरेक्टर एबी सोनी ने किया. इस मौके पर रजिस्ट्रार डॉ पीवाय ढेकने, डॉक्टर नितिन जैन, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ प्रभात दीवान, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एचके जोशी, सीईओ जनपद पंचायत धरसींवा रूही उपस्थित रहे। इससे पहले महिला समूह गढ़ कलेवा में पारंपरिक व्यंजन बनाने का काम कर रही है. यह पहली बार होगा की शिक्षण संस्थान में महिलाएं छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को छात्रों और संस्थान के स्टाफ को परोसेंगी. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अधिकतर छात्र बाहर के राज्य से आए हैं. कुछ छात्र छत्तीसगढ़ से भी हैं. नेशनल संस्था होने के कारण यहां पर बाहरी छात्रों की संख्या ज्यादा है. ऐसे में उम्मीद ये भी है कि दूसरे राज्यों तक प्रदेश का खानपान पहुंचेगा.

दूल्हा-दुल्हन पर अज्ञात युवक ने फेंका ऐसिड, दर्जन भर से अधिक लोग घायल

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के ग्राम आमाबाल में विवाह समारोह के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने दूल्हा-दुल्हन के ऊपर ऐसिड फेंक दिया, घटना में दूल्हा-दुल्हन सहित दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। घायलों को भानपुरी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही घायलों का हाल जानने नारायणपुर विधायक अस्पताल पहुंचे हैं। जहां उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भानपुरी के नजदीक ग्राम आमाबाल में विवाह का समारोह के बीच अचानक लाइट चली गई, जैसे ही लाइट गोल हुई वैसे ही दूल्हा और दुल्हन के ऊपर अज्ञात व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया। इस एसिड की चपेट में न केवल दूल्हा-दुल्हन बल्कि आस-पास खड़े अन्य लोग भी आए। अटैक के तुरंत बाद ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और आनन-फानन में लोगों ने मोबाइल की रोशनी में घायलों को देखा। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय विधायक की वाहन के माध्यम से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भानपुरी उपचार के लिए ले जाया गया। एसिड से झुलसने वालों में गांव की दूल्हा-दुल्हन सहित कुल 12 लोग दूल्हा डमरु बघेल , दुल्हन, सुनीता कश्यप , संपत बघेल, छह वर्षीय टेमेश्वर मौर्य, तुला कश्यप, चार वर्षीय जामनी कश्यप, गूंजी ठाकुर, कारी बाई कश्यप, गुनमनी कश्यप, मालती कश्यप, मिटकी कश्यप, गोयनदा कश्यप घायल हुए हैं। सभी को मामूली रूप से चोट पहुंची है। प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के बाद सभी लोग सकते में हैं अंधेरा होने की वजह से लोगों को इस बात का अंदाज नहीं लग पाया कि एसिड आखिर किसने फेंका है।

बाल-विवाह अपराध : रिश्तेदार, बाराती और पुरोहित पर भी हो सकती है कानूनी कार्यवाही

- दो वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माने की हो सकती है सजा

रायपुर (आरएनएस)। देश में अक्षय तृतीया के अवसर पर आज भी बाल विवाह के कई मामले सामने आते हैं। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति ही नहीं अपराध भी है। इससे बच्चों के अच्छा स्वाथ्य, पोषण व शिक्षा पाने और हिंसा, उत्पीडऩ व शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए लडक़े की आयु 21 वर्ष और लडक़ी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वर एवं वधु की आयु तय सीमा से कम होने पर माता-पिता, सगे-संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

अधिनियम के तहत व्यस्क पुरूष यदि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। बाल विवाह करवाने, करने या उसमें सहायता करने वाले व्यक्ति तथा बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले, अनुमति देने वाले या बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को भी 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।

बाल विवाह के बाद यदि वर या कन्या विवाह को स्वीकार नहीं करते, तो वाद मित्र, संरक्षक या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से या बालिग होने के बाद शून्य घोषित करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। यदि किसी बालक को बाल विवाह के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है, फुसलाया या उत्प्रेरित किया जाता है अथवा विक्रय कर विवाह किया जाता है और अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो ऐसा विवाह अकृत और शून्य माना जाता है। विवाह शून्य घोषित होने पर दोनों पक्षों के मध्य आदान-प्रदान किये गये धन, कीमती वस्तुएं, गहने तथा अन्य उपहारों को भी वापस करना पड़ता है।

अधिनियम में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया गया है। बाल विवाह की सूचना अनुविभागीय दंडाधिकारी, पुलिस थाने में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, कोटवार या महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारियों को दी जा सकती है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाय में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU